

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या- /XXXVI(1)/2017-202/2014
दिनांक: 21 जून, 2017

"शुद्धि पत्र"

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ 04 ए0डी0आर0 केन्द्रों क्रमशः जिला हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, उत्तरकाशी एवं मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन विषयक शासनादेश सं0-331/XXXVI(1)/2016-202/2014 दिनांक 06.07.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सूची के क्रमांक-1 पर अंकित "मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल" के स्थान पर "ए0डी0आर0 केन्द्र, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल" तथा मात्र इस ए0डी0आर0 केन्द्र हेतु शासनादेश के प्रस्तर-3 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत "06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण" के स्थान पर "05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2017 CI/XXXVI(1)/2017-202/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
4. सचिव, मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, उत्तरकाशी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, उत्तरकाशी, नैनीताल।
7. वित्त अनुभाग-7 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव